आयकर अपीलीय अधिकरण, जयपुर न्यायपीठ, जयपुर
श्री विजय पाल राव, न्यायिक सदस्य एवं श्री विक्रम सिंह यादव, लेखा सदस्य के समक्ष

आयकर अपील सं. 1039 to 1041/JP/2017
निर्धारण वर्ष: 2015-16 (26Q, 1st, 2nd & 3rd Qtr)

Rajasthan Medicare Relief Society, Satelight Hospital, Adarsh Nagar, Ajmer-305001	बनाम	Income Tax Officer, TDS, Ajmer.
स्थायी लेखा सं./जीआईआर सं.: AAAAR 3189 E		
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी

निर्धारिती की ओर से : कोई नहीं
राजस्व की ओर से : श्री अजय मलिक, (जेसीआईटी)

सुनवाई की तारीख : 17/05/2018
उद्घोषणा की तारीख : 18/05/2018

आदेश / ORDER

न्यायपीठ द्वारा

यह सभी आयकर अपील आवेदन विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) अजमेर के आदेश दिनांक 18-10-2017 एवं 16/10/2017 के विरूद्ध निर्धारिती द्वारा निर्धारण वर्ष 2015-16 (26Q, 1st, 2nd & 3rd Qtr) के लिये दाखिल की गई हैं।

2. अधिकरण द्वारा नोटिस भेजने के बावजूद, मामले की सुनवाई के समय निर्धारिती की ओर से कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया गया। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि निर्धारिती अपने मामले की सुनवाई में पर्याप्त रूचि नहीं

रखता। इन परिस्थितियों में आयकर आयुक्त बनाम मल्टीप्लॉन इंडिया (प्रा.)लिमि./ख1991, 38 आईटीडी 320 के मामले में आयकर अपीलीय अधिकरण की दिल्ली न्यायपीठ के निर्णय तथा स्वर्गीय श्री तुकोजीराव होल्कर की सम्पदा बनाम धन कर आयुक्त 223 आई टी आर 480 के मामले में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मानपूर्वक अनुसरण करते हुए, निर्धारिती का आयकर अपीलीय आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता है तथा दिनांक 18/05/2018 को न्यायालय में सार्वजनिक रूप से की गई उद्घोषणा के अनुसार इसे प्रारम्भ में ही निरस्त किया जाता हैं।

Sd/-
(विजय पाल राव)
न्यायिक सदस्य

Sd/-
(विक्रम सिंह यादव)
लेखा सदस्य

जयपुर
दिनांक – 18/05/2018

रंजन
आदेश की प्रतिलिपि अग्रेषित
1. अपीलार्थी
2. प्रत्यर्थी
3. आयकर आयुक्त
4. आयकर आयुक्त(अपील)
5. विभागीय प्रतिनिधि, आयकर अपीलीय अधिकरण, जयपुर
6. गार्ड फाईल (आयकर अपील आवेदन संख्या 1039 से 1041/जेपी/2017)

आदेशानुसार

सहायक पंजीकार